उप्र सरकार से खफा चीनी मिलें

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 17 नवंबर

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तय किए गए गन्ने के राज्य समर्थित मूल्य (एसएपी) से चीनी मिलें खासी खफा हैं। मिलों का कहना है कि इस एसएपी पर पेराई शुरू करना अव्यावहारिक है और वे इस मामले में अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए गुरुवार को राज्य के गन्ना आयुक्त से मिल रही हैं।

उत्तर प्रदेश चीनी मिल संगठन के सचिव दीपक गुप्तारा ने बताया, 'गुरुवार को गन्ना आयुक्त के साथ बैठक करने का फैसला किया गया है और हम उनसे चीनी उत्पादन की व्यावहारिकता के बारे में बात करेंगे। बाजार में चीनी के मौजूदा भाव को देखते हुए चीनी मिल चलाना जरा भी व्यावहारिक नहीं रह गया है।'

उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन के मामले में देश में दूसरे स्थान पर है और कुल चीनी उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 20 फीसदी है।

राज्य सरकार ने पेराई सत्र 2014-15 के लिए 12 नवंबर को एसएपी की घोषणा की थी। राज्य सरकार ने 280 रुपये प्रति क्विंटल एसएपी को लगातार तीसरे साल बरकरार रखा है। लेकिन सरकार ने मिलों को दो किस्तों में गन्ने की कीमत का भुगतान करने की अनुमति दी थी, जिससे उन्हें मामूली राहत मिली थी। इसके तहत मिलों को गन्ना खरीदने के 14 दिन के भीतर 240 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान करना था बाकी 40 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान पेराई सत्र समाप्त होने के तीन महीने भीतर करना था। गुप्तारा ने बताया, 'मिलों के सामने बैंकों को कार्यपूंजी ऋण देने के लिए मनाने की बड़ी चुनौती है क्योंकि राज्य सरकार ने पिछले पेराई सत्र के कुल उत्पादन के 85 फीसदी तक ही ऋण लेने की अनुमति दी है। इस रकम में से मिलों को अनिवार्य रूप से 85 फीसदी रकम का भुगतान गन्ना किसानों को करना है। इसलिए हमारे सामने मिल चलाने में व्यावहारिकता की समस्या है।' कार्यशील पूंजी ऋण में से मिल गन्ने के भुगतान के तौर पर 205 रुपये प्रति क्विंटल ही दे सकेंगी, जिससे किसानों को मिलने वाली रकम में 35 रुपये प्रति क्विंटल का अंतर आ रहा है।

उद्योग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'इसलिए उद्योग सरकार से गुजारिश करेगा कि वह प्रतिपूर्ति की रकम का अग्रिम भुगतान कर दे, जिससे मिलें बिना किसी झंझट के पेराई शुरू कर सकें।'

बढ़ी नाराजगी

■ चीनी मिलों ने कहा कि गन्ने के भुगतान के लिए कार्यकारी पूंजी ऋण का 72 फीसदी रखना बहुत ही मुश्किल है

Business standard (Hindi)
18-11-14